क्रमांक/सामान्य/2025/ 3430 दिनांकः- 19/09/2025

प्रेषकः- जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पाली राजस्थान।

प्रेषितिः- सभी न्यायिक अधिकारीगण,
पाली न्यायक्षेत्र , पाली

विषयः- अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अवकाश में होने पर न्यायिक अभिरक्षा के बंदियों की न्यायिक अभिरक्षा बढाने एवं जमानत मुचलकों को तस्दीक करने के संबंध में।

संदर्भः- इस कार्यालय का आदेश सामान्य/2024/394 दिनांक 07-11-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगर्त लेख है कि एडीजे कोर्टस के पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर होने पर उनके न्यायालय के आवश्यक प्रकृति के कार्य, अभिरक्षा बढाने, जमानत मुचलके तस्दीक करने आदि के संबंध में कठिनाईयों के बारे में निम्न प्रकार से कार्य करने के निर्देश दिये जाते हैः-

(1) इस कार्यालय के आदेश सामान्य/2024/394 दिनांक 07-11-2024 की पालना में सभी लिंक अधिकारी संबंधित न्यायालय के आवश्यक प्रकृति के सभी न्यायिक कार्य यथा रिमांड, जमानत आदि करेंगे तथा लिंक अधिकारी को संबंधित न्यायालय के एडीजे की पत्रावली की प्रथम आदेशिका जिसमें प्रकरण दर्ज किया गया हो,अंतिम आदेशिका एवं आरोप पत्र की प्रति एवं वारंट ई मेल से भेजे जाए ताकि संबंधित एडीजे न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को बढा सके एवं इस हेतु संबंधित जेल से विडिओ कांफ्रेसिंग के माध्यम से अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कर सके।

(2) किसी भी एडीजे न्यायालय के प्रकरण में जमानत आदेश प्राप्त होने पर संबंधित मुख्यालय के मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत मुचलके तस्दीक किये जाऐंगे क्योंकि यह मात्र दैनिक व रूटिन प्रशासनिक कार्य होता है, किसी आवेदन के निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है एवं किसी प्रकार का न्यायिक आदेश पारित किया जाना नहीं होता है। न्यायालय के दैनिक कार्य व रूटीन आदेशिकाओं पर संबंधित मुख्यालय के मजिस्ट्रेट के द्वारा ही हस्ताक्षर किये जाते है एवं आवश्यक प्रशासनिक कार्य उनके द्वारा ही निस्तारित किया जाता है।

(3) एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रथम बार में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करने पर पुलिस अभिरक्षा दी जाती है या बढाई जाती है एवं इसके पश्चात यदि अभिरक्षा बढाई जाने हेतु संबंधित एनडीपीएस न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने का निर्देश दिया जाता है तो संबंधित आदेश में एवं वारंट पर यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि कौनसे न्यायालय में कौनसी तारीख को अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना है।

(4) किसी न्यायालय के लिंक न्यायालय के द्वारा कार्य किये जाने पर जिस न्यायालय का प्रकरण हो उस न्यायालय का नाम लिखा जाए एवं पीठासीन अधिकारी के नाम के नीचे लिंक अधिकारी लिखा जाए ताकि कारापाल प्रभारी एवं अन्य सभी व्यक्तियों को आगामी तारीख पेशी पर किस न्यायालय में उपस्थित होना है, इस संबंध में कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

भवदीय,

संलग्नः
उक्त आदेश दिनांक 07-11-2024

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पाली राज.